<u>दिनांक 11.11.2021 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत वादी द्वारा स्वयं रची गयी फर्जी लूट का खुलासा, मोबाईलफोन बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी/स्वाट/कोपागंज पुलिस टीम द्वारा, दिनांक 11.11.2021 को रात्रि समय लगभग 9:00 बजे अमित चौहान पुत्र बड़े लाल चौहान निवासी चक्र प्रसाद थाना पकड़ी जनपद बलिया जो अपने बहनोई प्रदीप चौहान निवासी मूंगमास थाना कोपागंज के यहां रह कर पीढवल बाजार में फर्नीचर की दुकान चलाता है ने सूचना दिया कि घर जाते समय 4 अज्ञात बदमाशो ने उसे मारपीट कर उसके पास रखे एक लाख रुपये व मोबाइल छीन लिए। इस सूचना पर घटना के अनावरण हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त पुलिस टीमों द्वारा गहराई से जांच पड़ताल करने से ज्ञात हुआ कि अमित उपरोक्त वी प्लस आनलाईन गेम खेलता था जिसमें उसका भारी नुकसान हुआ था, उसके पिता ने जमीन लेने के लिए एडवांस के रूप में देने के एक लाख रुपये उसके खाते में भेजे थे जिसे हारे हुए रुपयों को घर वालो से छिपाने लिए फर्जी कूटरचित घटना प्रायोजित कर दिया तथा अपना मोबाइल अपनी दुकान के बेड के नीचे छिपा दिया था जो उसकी निशानदेही पर बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस को फर्जी सूचना देने पर वादी अमित चौहान के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 499/21 धारा 182,203 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।